



राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

ईसीआर, मुत्तुकाडु, कोवलम डाक, चेन्नई 603 112, तमिलनाडु

फैक्स: 044-27472389 दूरभाष: 044-27472104, 27472113, 27472046

वेबसाइट: www.niepmd.nic.in ई-मेल: niepmd@gov.in

जॉनसन लिफ्ट एएमसी के लिए एटीसी दस्तावेज़ - एनआईईपीएमडी परिसर

निदेशक राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई के एनआईईपीएमडी परिसर ईसीआर, मुत्तुकाडु, कोवलम (डाक), चेन्नई -603112 तमिलनाडु में स्थापित 09 जॉनसन लिफ्टों के वार्षिक व्यापक रखरखाव अनुबंध के लिए केवल सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से मूल उपकरण निर्माता (मेसर्स जॉनसन लिफ्ट्स) / मेसर्स जॉनसन लिफ्ट्स के प्राधिकृत सेवा प्रदाता के द्वारा बोलियां आमंत्रित करते हैं।

क्रमांक	विवरण	विवरण
1	एनआईटी सं.	एनआईईपीएमडी/संपदा 6(05)/2024-25
2	कार्य का नाम एवं स्थान	लिफ्टों का वार्षिक व्यापक रखरखाव एनआईईपीएमडी परिसर, मुत्तुकाडु, चेन्नई-112 में स्थापित 09 लिफ्टें।
3	निविदा हेतु रखी गई अनुमानित लागत (रु. में)	रु. 12,00,000.00 (वार्षिक).
4	बयाना राशि (रु. में)	जीईएम बोली दस्तावेज़ के अनुसार।
5	समापन अवधि	लिफ्टों की ए.एम.सी. प्रदान करने का अनुबंध पांच (05) वर्षों के लिए होगा, जिसमें वार्षिक निष्पादन समीक्षा के आधार पर 5% की वृद्धि होगी। अन्य नियम व शर्तें समान रहेंगी।

ह/-

उप पंजीयक (प्रशासन)

09 दिसंबर 2024

ह/-

निदेशक

09 दिसंबर 2024

Bid Number/बोली क्रमांक (बिड संख्या): GEM/2024/B/5696399

Dated/दिनांक: 12-12-2024

नियम एवं शर्तें: -

1. इच्छुक बोलीदाता को नियम व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उन्हें अपनी बोलियां केवल तभी प्रस्तुत करनी चाहिए जब वे स्वयं को पात्र समझते हों तथा उनके पास आवश्यक सभी दस्तावेज हों।
2. इस बोली के संबंध में संस्थान की वेबसाइट और जीईएम पोर्टल पर प्रदर्शित सूचना, शुद्धिपत्र, निर्देश आदि बोली दस्तावेज का हिस्सा होंगे।
3. एजेंसी को जीईएम बोली के अनुसार ईएमडी जमा करना होगा। ईएमडी राशि का भुगतान **एनआईपीएमडी** खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना चाहिए और भुगतान रसीद तकनीकी बोली के साथ अपलोड की जानी चाहिए। बिना ईएमडी के बोलियों पर आगे के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी छूट जीईएम सामान्य नियम और शर्तों (जीटीसी) और भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार होगी।

एनआईपीएमडी बैंक का विवरण निम्न अनुसार है

खाता सं. 761297290

खाते का प्रकार: बचत बैंक

बैंक का नाम: इंडियन बैंक, कोवलम शाखा

आईएफएस कोड: IDIB000K122 , शाखा कोड: 01176

नोट: कृपया सुनिश्चित करें कि एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करते समय आपको उपरोक्त अनुसार सही लाभार्थी खाता संख्या और आईएफएससी कोड का उल्लेख करना होगा। गलत लाभार्थी खाता संख्या में धनराशि भेजे जाने की स्थिति में, एनआईपीएमडी, चेन्नई या उसका बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

4. यदि निर्धारित मानदण्ड को पूरा करने वाली बहुत अधिक बोलियां प्राप्त होती हैं, तो विभाग बिना कोई कारण बताए किसी भी संभावित आवेदन को अस्वीकार करने तथा योग्य ठेकेदारों की सूची को किसी भी संख्या तक सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बोली प्रस्तुत करने की अवधि के दौरान स्कैन और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:-

- i. ओईएम या ओईएम अधिकृत सेवा प्रदाता ही ओईएम की ओर से लिफ्ट एएमसी अनुबंध करने के लिए अधिकृत हैं। (मेसर्स जॉनसन लिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड)
- ii. बिक्री कर/वैट के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र
- iii. सेवा कर हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र
- iv. ईएमडी शुल्क भुगतान की रसीद की प्रति

सामान्य नियम एवं शर्तें

- (क) कार्य पूरा करने के लिए स्वीकृत समय अनुबंध साठ (60) महीने होगा, एएमसी शुल्क में 5% वार्षिक वृद्धि शुरू में निर्धारित की गई है।
- (ख) कार्य हेतु स्थल उपलब्ध है।
- (ग) चयनित विक्रेता को कार्य आदेश की वार्षिक लागत के 05% के बराबर प्रदर्शन सुरक्षा राशि किसी भी अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट/एफडीआर/बैंक गारंटी के रूप में "निदेशक, एनआईईपीएमडी, चेन्नई" के पक्ष में चेन्नई में देय जमा करानी होगी। यदि प्रदर्शन सुरक्षा राशि एफडी/बैंक गारंटी के रूप में जमा की जाती है, तो यह अनुबंध की समाप्ति की तिथि के बाद 60 दिनों की अवधि (यानी 62 महीने) के लिए वैध होनी चाहिए। यदि अनुबंध संबंधी दायित्व पूरे नहीं किए जाते हैं, तो एनआईईपीएमडी प्रदर्शन गारंटी विस्तार के लिए पूछने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी निविदाकर्ता को प्रदर्शन सुरक्षा का भुगतान करने से छूट नहीं दी गई है।
- (घ) इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्थल और उसके आस-पास के क्षेत्र का निरीक्षण और जांच करें और बोली प्रस्तुत करने से पहले जमीन और उप-मिट्टी की प्रकृति (जहां तक संभव हो), स्थल के स्वरूप और प्रकृति, स्थल तक पहुंच के साधनों, उनके लिए आवश्यक आवास के बारे में खुद को संतुष्ट करें और सामान्य तौर पर जोखिमों, आकस्मिकताओं और अन्य परिस्थितियों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी स्वयं प्राप्त करें जो उनकी बोली को प्रभावित कर सकती हैं। बोलीदाता को स्थल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, चाहे वह इसका निरीक्षण करे या नहीं और किसी गलतफहमी या अन्यथा के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त शुल्क मान्य नहीं होगा। बोलीदाता अपने खर्च पर सभी सामग्रियों, औजारों और संयंत्रों, पानी, बिजली की पहुंच, श्रमिकों के लिए सुविधाओं और काम को निष्पादित करने के लिए आवश्यक सभी अन्य सेवाओं की व्यवस्था और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे, जब तक कि अनुबंध दस्तावेजों में अन्यथा विशेष रूप से प्रावधान न किया गया हो। बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने इस नोटिस और अन्य सभी अनुबंध दस्तावेजों को पढ़ लिया है तथा किए जाने वाले कार्य के दायरे और विनिर्देशों तथा सरकार द्वारा उसे जिन शर्तों और दरों पर सामान, उपकरण और संयंत्र आदि जारी किए जाएंगे, उनसे स्वयं को अवगत करा लिया है तथा कार्य के निष्पादन पर प्रभाव डालने वाली स्थानीय स्थितियों और अन्य कारकों से भी अवगत करा लिया है।

- (ड) सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम बोली या किसी अन्य बोली को स्वीकार करने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करते हैं तथा बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार स्वयं के पास सुरक्षित रखते हैं। वे सभी बोलियाँ जिनमें कोई भी निर्धारित शर्त पूरी नहीं होती है या कोई शर्त पूरी नहीं होती है।
- (च) बोलीदाताओं के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करना सख्त वर्जित है तथा प्रचार करने वाले ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत बोलियाँ अस्वीकृत कर दी जाएंगी।
- (छ) सक्षम प्राधिकारी बोली को पूरी तरह या उसके किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा बोलीदाता उद्धृत दर पर ही कार्य करने के लिए बाध्य होगा।
- (ज) भारत सरकार के इंजीनियरिंग विभाग में इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कर्तव्यों में कार्यरत किसी भी अधिकारी को भारत सरकार की लिखित अनुमति के बिना सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के एक वर्ष की अवधि के लिए ठेकेदार के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है। यह अनुबंध रद्द किया जा सकता है यदि ठेकेदार या उसके किसी भी कर्मचारी को किसी भी समय ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जिसने बोली प्रस्तुत करने या ठेकेदार की सेवा में शामिल होने से पहले भारत सरकार की पूर्वोक्त अनुमति प्राप्त नहीं की थी।
- (झ) कार्य के लिए बोली वित्तीय बोली खुलने की तिथि से नब्बे (90) दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए खुली रहेगी, यदि कोई बोलीदाता उक्त अवधि या स्वीकृति पत्र जारी होने से पहले अपनी बोली वापस ले लेता है, जो भी पहले हो, या बोली की शर्तों में कोई संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो सरकार किसी अन्य अधिकार या उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, उक्त बयाना राशि को जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी। इसके अलावा बोलीदाताओं को अगले 03 वर्षों के लिए कार्य की पुनः बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अतिरिक्त शर्तें

1. यह कार्य सीपीडब्ल्यूडी के विद्युत कार्यों के लिए सामान्य विनिर्देश (विद्युत कार्यों के लिए सामान्य विनिर्देश (भाग-III-लिफ्ट और एस्केलेटर) - 2003) के अनुसार किया जाएगा, जैसा की आज तक यथा संशोधित है। स्थापना भारतीय विद्युत नियम 1956 की आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी, जैसा की आज तक यथा संशोधित है।
2. ठेकेदार द्वारा लिफ्टों में प्रतिस्थापित की जाने वाली सामग्रियों के लिए प्रभारी इंजीनियर की स्वीकृति काफी पहले ले ली जाएगी।
3. सभी मरम्मत और पैचवर्क मूल फिनिश से मेल खाने के लिए और प्रभारी इंजीनियर की पूरी संतुष्टि के लिए साफ-सुथरे ढंग से किए जाएंगे। विद्युत रखरखाव कार्य के निष्पादन के दौरान भवन को होने वाली किसी भी क्षति की जिम्मेदारी विद्युत ठेकेदार की होगी और उसे प्रभारी इंजीनियर की संतुष्टि के लिए तुरंत अपने खर्च पर ठीक किया जाएगा। इस संबंध में विभाग द्वारा किए गए किसी भी व्यय की वसूली ठेकेदार से की जाएगी और वसूली के बारे में प्रभारी इंजीनियर का निर्णय अंतिम होगा।
4. ठेकेदार को कार्य के लिए आवश्यक सभी सामान्य एवं विशेष टी एंड पी की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी।

5. कार्य अनुबंध कर, आयकर और टीडीएस या सरकारी मानदंडों के अनुसार लागू कोई अन्य कर ठेकेदार को देय राशि से काट लिया जाएगा।
6. सभी सर्विसिंग प्रभारी इंजीनियर/प्रभारी संपदा अनुभाग की जानकारी में की जाएगी।
7. लिफ्टों की सर्विस महीने में एक बार की जाएगी।
8. फर्म के प्रतिनिधि विभाग द्वारा रखी गई लिफ्ट लॉग-बुक पर हस्ताक्षर करेंगे।
9. सेवा बिलों का भुगतान विभागीय बिल के रूप में तीन माह में एक बार किया जाएगा।
10. ब्रेकडाउन कॉल का सामान्यतः उचित समय के भीतर निदान दिया जाना चाहिए। यदि कोई ब्रेकडाउन कॉल **24 घंटे से अधिक समय तक** निदान नहीं किया जाता रहती है, तो लिफ्ट के गैरनिदान रहने के दिनों की संख्या के लिए फर्मों को देय एएमसी शुल्क से आनुपातिक वसूली की जाएगी।
11. व्यापक रखरखाव दायित्व में वे सभी सामग्रियाँ शामिल होंगी जो एजेंसी द्वारा मूल अनुबंध के भाग के रूप में बिना किसी अपवाद के आपूर्ति की गई और स्थापित की गई थीं। लिफ्ट के घटकों की जाँच मासिक संचालन, त्रैमासिक संचालन आदि के लिए विस्तृत लिफ्ट रखरखाव अनुसूची के अनुसार की जाएगी।
12. वार्षिक सुरक्षा परीक्षण वर्ष में एक बार किया जाएगा।

चयन के लिए न्यूनतम मानदंड:

13. बोलीदाताओं के पास जॉनसन लिफ्टों और उनके सहायक उपकरणों, घटकों के रखरखाव में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जैसा कि कार्य के दायरे में उल्लेख किया गया है। (जॉनसन द्वारा अनुमोदित सेवा प्रदाता होना चाहिए। ओएमई प्राधिकरण संलग्न होना चाहिए)।
14. बोलीदाता पंजीकृत कंपनी/साझेदारी कंपनी/स्वामित्व/सोसायटी/या दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। कृपया पंजीकरण की प्रति संलग्न करें।
15. बोलीदाताओं को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अपनी बोली प्रस्तुत करते समय 25 लाख रुपये या उससे अधिक राशि के समान प्रकृति के तीन अनुबंधों के अपने अनुभव का दस्तावेजी प्रमाण/विवरण संलग्न करना चाहिए, साथ ही उन संगठनों और उनके संपर्क व्यक्तियों की सूची भी संलग्न करनी चाहिए, जहां बोलीदाता वर्तमान में ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहा है/प्रदान कर चुका है।
16. बोलीदाता को या तो ओईएम (मेसर्स जॉनसन लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स) या ओईओम अधिकृत सेवा प्रदाता होना चाहिए। ओईओम अधिकृत सेवा प्रदाताओं को ओईओम मेसर्स जॉनसन लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स से प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. एजेंसी को सभी वैधानिक पंजीकरणों के समर्थन में प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने होंगे। (प्रमाण की प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए)
18. निविदाकार का कार्यालय/शाखा चेन्नई या आसपास के क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए। कार्यालय/शाखा के लिए पते का प्रमाण जमा करना होगा यानी पते से संबंधित एजेंसी के नाम का टेलीफोन बिल या बिजली बिल जमा करना होगा।

19. बोलीदाताओं का औसत वार्षिक कारोबार जेम बोली के अनुसार होना चाहिए। वार्षिक कारोबार के लिए सहायक दस्तावेज़ तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। लाभ और हानि विवरण के साथ सीए प्रमाणित बैलेंस शीट।
20. एजेंसी के पास इस परिमाण के अनुबंध लेने के लिए पर्याप्त वित्तीय क्षमता होनी चाहिए तथा इसके समर्थन में उसे 30.00 लाख रुपये (केवल तीस लाख रुपये) का बैंक शोधन क्षमता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा।
21. दस्तावेजी प्रमाण के बिना बोलियां (खण्ड 15-21) तुरंत अस्वीकार कर दी जाएंगी।

कार्य का दायरा

22. **13 सवारी क्षमता वाली 04 लिफ्टों** (मेसर्स जॉनसन निर्मित) के सभी प्रकार के नियमित, निवारक और सुधारात्मक (ब्रेक डाउन) रखरखाव के लिए व्यापक रखरखाव अनुबंध, जिसमें आवश्यकतानुसार सभी सामग्री, उपभोज्य, पुर्जे, श्रम, परीक्षण उपकरण, सामग्री और भागों का परिवहन आदि शामिल है।
23. **व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध में रिले, संपर्क, मुद्रित सर्किट बोर्ड, नियंत्रक, ड्राइव, मोटर, ब्रेकर (एनआईपीएमडी साइड मुख्य बिजली आपूर्ति यानी लिफ्ट साइड के बाद) सेंसर, स्विच, एकल चरण सहित सभी प्रमुख और छोटे स्पेयर पार्ट्स की मरम्मत या प्रतिस्थापन शामिल होगा। प्रिवेंटर और फेज़ रिवर्सल, संकेतक, अलार्म, लिफ्ट साइड केबल (लिफ्ट साइड) रस्सी, ब्रेक स्वचालित बचाव सेवा जिसमें सभी यांत्रिक घटकों सहित नई बैटरी प्रदान करना और दर्पण, होइस्ट वे लाइट और स्विच को छोड़कर शामिल है।**

क्र. सं.	लिफ्ट का प्रकार	क्षमता (किग्रा)	ज़मीन	मात्रा
01	13 सवारी	884 किलोग्राम.	8 लैंडिंग (फ्रंट ओपनिंग)	04 संख्या
02	13 सवारी	884 किलोग्राम.	4 लैंडिंग (फ्रंट ओपनिंग)	03 संख्या
03	13 सवारी	884 किलोग्राम.	3 लैंडिंग (फ्रंट ओपनिंग)	02 संख्या
कुल लिफ्टें:				09 संख्या
क्रम संख्या 01 का विवरण				
एसएससीसी नियंत्रण के साथ जी + 7 मंजिलें				
मॉडल - नेक्स्ट्रा				
1. लिफ्ट सं - एलएल 9778 (8 लैंडिंग) - जी+7 भवन				
2. लिफ्ट सं - एलएल 9779 (8 लैंडिंग) - जी+7 भवन				
3. लिफ्ट सं - एलओ 4121 (8 लैंडिंग) - G+7 भवन				
4. लिफ्ट सं - एलओ 4122 (8 लैंडिंग) - G+7 भवन				
क्रम संख्या 02 का विवरण				
एसएससीसी नियंत्रण के साथ जी + 3 मंजिलें				

1. लिफ्ट सं – एलडी 8476 (4 लैंडिंग) मुख्य भवन
2. लिफ्ट सं – एलडी 8477 (4 लैंडिंग) मुख्य भवन
3. लिफ्ट सं – एलडी 8478 (4 लैंडिंग) हॉस्टल – I

क्रम संख्या 03 का विवरण

एसएससीसी नियंत्रण के साथ जी + 2 मंजिलें

1. लिफ्ट सं – एलडी 8479 (3 लैंडिंग)- हॉस्टल II
2. लिफ्ट सं – एलडी 8480 (3 लैंडिंग) – अतिथि गृह

सभी लिफ्ट निर्माता – मेसर्स जॉनसन लिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड

24. ठेकेदार को उपकरण (अनुबंध के तहत) को उचित संचालन स्थिति में बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे। ठेकेदार रखरखाव सेवाओं को करने के लिए प्रशिक्षित और उचित रूप से पर्यवेक्षित कर्मियों का उपयोग करेगा। रखरखाव सेवाएं सामान्य कार्य समय के दौरान संचालित की जाएंगी। ठेकेदार नियमित अंतराल पर और जितनी बार कंपनी को आवश्यक लगे लिफ्ट की उम्र, प्रकृति और स्थिति को ध्यान में रखते हुए (लेकिन प्रति वर्ष 12 बार से कम नहीं) एक तकनीशियन को भेजेगा जो लिफ्ट के हिस्सों का व्यवस्थित रूप से निरीक्षण, समायोजन और चिकनाई करेगा ताकि लिफ्ट को संतोषजनक कार्यशील स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक सीमा तक हो सके। ठेकेदार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी सहायक की आपूर्ति करेगा।
25. ठेकेदार सभी सुरक्षा उपकरणों की जांच के लिए अपना मानक प्रथागत वार्षिक सुरक्षा परीक्षण करेगा तथा पंजीकृत लिफ्ट ठेकेदार द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित परीक्षण प्रमाणपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराएगा।
26. ग्राहक द्वारा लिफ्ट में किसी खराबी या विफलता की सूचना दिए जाने पर, ठेकेदार यथाशीघ्र बाद के सामान्य कार्य समय के दौरान आवश्यक मरम्मत करने के लिए एक तकनीशियन को भेजेगा, ताकि लिफ्ट को संतोषजनक कार्यशील स्थिति में बहाल किया जा सके। ठेकेदार लिफ्ट के किसी भी घटक को (समान या समतुल्य वस्तु से) बदलेगा या अपने विकल्प पर सुधार करेगा जो सामान्य टूट-फूट के कारण और लिफ्ट के सामान्य और उचित उपयोग से उत्पन्न होने वाली खराबी के कारण खराब हो गया हो, सिवाय उन वस्तुओं और स्थितियों के जिन्हें विशेष और सामान्य बहिष्करण के रूप में यहां बाहर रखा गया है। प्रतिस्थापित किए जाने वाले भाग ठेकेदार की संपत्ति होंगे।
27. प्रणाली में किसी भी तरह की खराबी आने पर उसमें संशोधन की आवश्यकता होने पर, ठेकेदार को आवश्यक परीक्षण और पुनः-बहाली का कार्य करना होगा। ऐसे किसी भी संशोधन को एनआईईपीएमडी प्रतिनिधि द्वारा समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
28. ठेकेदार द्वारा लगाए गए सभी पुर्जे और घटक मूल पुर्जे या घटक होंगे। यदि मूल पुर्जे या घटक उपलब्ध नहीं हैं, तो लगाए गए पुर्जे या घटक केवल एनआईईपीएमडी के अनुमोदन के बाद आईएनआई मार्क वाले प्रतिष्ठित ब्रांड/मेक के बराबर गुणवत्ता और कार्यक्षमता के होंगे।
29. ठेकेदार को देरी से बचने के लिए दैनिक रखरखाव और ब्रेकडाउन/सुधारात्मक रखरखाव के दौरान प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक पर्याप्त संख्या में स्पेयर रखना होगा।

30. ठेकेदार को उपकरण की स्थिति पर सहमत प्रारूप में तिमाहि रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी। प्रत्येक नियमित दौरे और कॉल आउट दौरे का रिकॉर्ड, साथ ही किए गए कार्य या कार्रवाई का विवरण या की गई कार्रवाई, एक लॉग बुक में दर्ज की जाएगी जो ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और नियोक्ता का प्रतिनिधि द्वारा चुनी गई स्थान में रखी जाएगी।
31. यह वांछनीय है कि कोई भी सवार लिफ्ट के अंदर न फंसे। एनआईईपीएमडी संबंधित व्यक्तियों को नामित जिन्हें लिफ्ट संचालन और/या आपातकाल बचाव संचालन हेतु ज़रूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ठेकेदार द्वारा क्षमता प्रमाण पत्र करेगा जारी किए जाएगा।
32. कार्य के दायरे में लिफ्ट निरीक्षक के निरीक्षण के लिए लिफ्ट तैयार करना और अनुबंध अवधि के दौरान लिफ्ट लाइसेंस / नवीकरण प्राप्त करना भी शामिल है। ठेकेदार द्वारा चुकाया गया लाइसेंस फीस की प्रतिपूर्ति एनआईईपीएमडी द्वारा रसीदें जमा करने पर की जाएंगी। तथापि, सभी अन्य प्रभार और संपर्क कामव्यय (यदि कोई हो) ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

भुगतान :

- 1.1 एजेंसी को प्रदान की गई सेवाओं के लिए अपना दावा प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें शुल्क स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। ये दावे उस महीने के अंतिम सप्ताह में किए जाने हैं, जिस तिमाही के लिए बिल जारी किया गया है। सरकारी करों में कोई भी बदलाव जब भी अधिसूचित किया जाएगा, केवल दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही विचार किया जाएगा।
- 1.2 बिल अवधि के दौरान किए गए संविदात्मक उत्तरदायित्व के संतोषजनक प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के बाद ठेकेदार को सहमत एएमसी आधार पर त्रैमासिक भुगतान किया जाएगा। एएमसी के दायरे से बाहर किसी भी मरम्मत के मामले में संस्थान से अनुमोदन के बाद किया जाना चाहिए।
- 1.3 किसी भी अग्रिम भुगतान दावे या चालू बिल पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 1.4 समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार आयकर और किसी भी अन्य वैधानिक शुल्क की कटौती स्रोत पर की जाएगी।

क्षतिपूर्ति बंध-पत्र:

सफल बोली लगाने वाले को किसी भी प्राधिकारी के किसी भी दावे के खिलाफ संस्थान को क्षतिपूर्ति देनी होगी। यदि संस्थान को इस अनुबंध के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कारणों के लिए किसी व्यक्ति, वैधानिक निकाय या किसी एजेंसी को भुगतान करना पड़ता है, तो केवल ठेकेदार को ही ऐसे दावे/नुकसान का भुगतान करना चाहिए और भले ही संस्थान को ऐसे नुकसान/जुर्माने का भुगतान करने के लिए कहा जाए ठेकेदार इसकी प्रतिपूर्ति करेगा। यह इस शर्त के अधीन है कि संस्थान अपने ऊपर लागू कानूनों के संबंध में विभिन्न आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

अनुबंध समापन

परिवीक्षा अवधि के बाद समाप्ति: केवल एनआईईपीएमडी के पास 30 दिन की सूचना देकर और बिना कोई कारण बताए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

अन्य नियम और शर्तें

- (क) एनआईईपीएमडी आपके कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना, मृत्यु या चोट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और न ही ऐसे व्यक्तियों को क्षति या मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी होगा। एजेंसी/ठेकेदार को हर समय क्षतिपूर्ति देनी चाहिए और एनआईईपीएमडी को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति देनी चाहिए जो कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 या उसके किसी वैधानिक संशोधन के तहत या अन्यथा किसी दुर्घटना या चोट के परिणामस्वरूप देय किसी क्षति या मुआवजे के संबंध में किए जा सकते हैं जो किसी भी कामगार या अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसका हमारे परिसर में प्रवेश ठेकेदार द्वारा अधिकृत किया गया है।
- (ख) यदि, किसी भी समय, अनुबंध के निष्पादन के दौरान, ठेकेदार को सेवा के समय पर निष्पादन में आसन्न स्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें देरी के तथ्य, देरी का कारण और इसकी संभावित अवधि के बारे में तुरंत एनआईईपीएमडी को लिखित रूप में सूचित करना चाहिए। एनआईईपीएमडी स्थिति का मूल्यांकन करेगा और अपने विवेक से आपूर्तिकर्ताओं को प्रदर्शन के लिए समय बढ़ाएगा और एनआईईपीएमडी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- (ग) **निरीक्षण:** हमारे कार्यालय में सामग्री के आगमन पर एनआईईपीएमडी अधिकृत कर्मियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और मामले में उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा। अस्वीकृत सामग्री प्रतिस्थापन के लिए ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी और उस पर सभी शुल्क ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिस्थापन 2 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
- (घ) ठेकेदार के पास उचित टेलीफोन नंबर और ईमेल होना चाहिए जिससे एनआईईपीएमडी किसी भी समय उनसे संपर्क कर सके। (उपलब्धता: 24x7, पूरे वर्ष)
- (ङ) यदि एनआईईपीएमडी के परिसर या भवनों में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को कोई क्षति हुई है, तो एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ऐसे नुकसान की भरपाई एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए। एजेंसी/ठेकेदार अपने कर्मचारियों के किसी भी बीमा कवरेज के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (च) सुरक्षा कर्मचारी किसी भी कर्मचारी, पर्यवेक्षक की प्रवेश करते समय जांच करने, काम के दौरान और परिसर से बाहर निकलते समय परिसर में उनकी तलाशी लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- (छ) ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कर्मचारी किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते समय उचित सुरक्षा उपायों का उपयोग करें।
- (ज) ठेकेदार अपने अनुबंध की अवधि की समाप्ति पर उपकरण को सही कार्यशील रूप में एनआईईपीएमडी/एनआईईपीएमडी द्वारा नियुक्त आने वाले ठेकेदार को सौंप देगा।
- (झ) ठेकेदार को अपने कर्मचारियों की ओर से किसी भी चूक या कमीशन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

- (ज) ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को एनआईईपीएमडी प्रतिनिधि के साथ प्रदर्शन के मूल्यांकन/चर्चा के लिए हर महीने या एनआईईपीएमडी द्वारा तय और सूचित की गई बैठक में भाग लेना होगा। एनआईईपीएमडी प्रतिनिधि द्वारा बैठक की तारीख और समय की पुष्टि की जाएगी।
- (ट) एनआईईपीएमडी को कार्य के दायरे में मामूली बदलाव/परिवर्धन/प्रतिस्थापन करने या अनुबंध की अवधि के दौरान आवश्यक समझे जाने वाले निर्देश जारी करने का अधिकार होगा और एनआईईपीएमडी के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ठेकेदार काम किया जाएगा।
- (ठ) एनआईईपीएमडी को अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी लिफ्ट के प्रतिस्थापन का निर्णय लेने का अधिकार होगा। यदि किसी लिफ्ट को नई लिफ्ट से बदला जाता है, तो वह वारंटी के अंतर्गत कवर की जाएगी, इसलिए उसके रखरखाव अनुबंध को उसके प्रतिस्थापन के दिन आनुपातिक आधार पर समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि शेष लिफ्टों के लिए अनुबंध जारी रहेगा।
- (ड) ठेकेदार के पास उक्त साइट पर भवन, संरचना या वहां लाए गए सामान, लेख या सामग्री (जब तक कि वह विशेष रूप से ठेकेदार की न हो) कार्य के निष्पादन के लिए एनआईईपीएमडी द्वारा उपलब्ध कराई गई साइट या आदि में कोई अधिकार, शीर्षक या हित नहीं होगा। एवं ठेकेदार के पास अवैतनिक बिल के लिए कोई भी ग्रहणाधिकार नहीं होगा या माना जाएगा, साइट या संरचनाओं या सामग्रियों या उपकरणों पर कब्जा या नियंत्रण रखने या बनाए रखने का हकदारी हेतु। एनआईईपीएमडी को साइट पर पूर्ण कब्जा लेने और ठेकेदार, उनके कर्मचारियों, एजेंटों, प्रतिनिधियों, ठेकेदार से संबंधित सामग्री आदि को हटाने और साइट पर बिछाने का पूर्ण अधिकार होगा।

गैर-संतोषजनक कार्य के कारण कटौती:

- (क) एनआईईपीएमडी की संपत्ति या उपकरण आदि को नुकसान, यदि एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा होता है, तो संपत्ति की अधिग्रहण लागत, एनआईईपीएमडी द्वारा तय किए गए अनुसार दंड के रूप में लगाई जाएगी। हानि/क्षति की राशि एजेंसी के बिल/सुरक्षा जमा से वसूल की जाएगी।
- (ख) एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मचारियों के बीच झगड़ा, गाली-गलौज आदि जैसे दुर्व्यवहार, परिसर में अशांति पैदा करने पर: 500/- रुपये प्रति अवसर और ऐसे कर्मियों को तुरंत बदलना।
- (ग) एनआईईपीएमडी परिसर में धूम्रपान और तंबाकू चबाना आदि प्रतिबंधित है। जो कर्मचारी इन वस्तुओं का आदी है उसके परिसर में नियुक्त किये जाने पर, यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे परिसर छोड़ने के लिए कहा जाएगा और उसे तुरंत बदल दिया जाए।
- (घ) यदि कोई शिकायत 2 दिनों से अधिक समय तक अनसुलझी रहती है, तो संपूर्ण अनुबंध अवधि के दौरान अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन 500/- रुपये प्रति दिन प्रति लिफ्ट का जुर्माना लगाया जाएगा।
- (ङ) यदि गैर-संतोषजनक कार्य प्रदर्शन के कारण निर्दिष्ट गुणवत्ता वाले कार्य को बनाए नहीं रखा

जाता है, तो एनआईईपीएमडी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा ठेकेदार के बिल से उस गैर-संतोषजनक कार्य के लिए आनुपातिक कटौती की जाएगी। यदि गैर-संतोषजनक कार्य के कारण कटौती की जाती है तो ठेकेदार से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(च) जुर्माना लगाने के संबंध में एनआईईपीएमडी का निर्णय अंतिम होगा।

(छ) उपरोक्त निविदा से उत्पन्न होने वाले विवादों को, यदि कोई हो, केवल चेन्नई क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों में भेजा जाएगा।

मध्यस्थता करना

इस अनुबंध के तहत अस्तित्व, वैधता, व्याख्या, प्रदर्शन, समाप्ति या उल्लंघन के संबंध में एनआईईपीएमडी और ठेकेदार के बीच किसी भी विवाद, मतभेद या असहमति को अच्छे विश्वास के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा। ऐसा न होने पर, मामले को समय-समय पर संशोधित भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा निपटान के लिए भेजा जाएगा। कोई भी पक्ष विवाद को एनआईईपीएमडी के निदेशक द्वारा नामित एकमात्र मध्यस्थ के पास भेज सकता है। मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी और मध्यस्थता की सीट चेन्नई होगी। मध्यस्थता अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

देय की परिसीमा

- i) इस अनुबंध का कोई भी पक्ष किसी विशेष, आकस्मिक, अप्रत्यक्ष, दंडात्मक या परिणामी क्षति के लिए दूसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें लाभ, व्यवसाय, सद्भावना, राजस्व या प्रत्याशित बचत की हानि भी शामिल है।
- ii) अनुबंध के तहत उपरोक्त उल्लेख न की गई कोई भी अन्य देनदारियां सहमत अनुबंध मूल्य के अधिकतम 100% तक सीमित होंगी, बशर्ते कि उपरोक्त धाराएं आपराधिक लापरवाही या जानबूझकर कदाचार के मामलों और व्यक्तिगत चोट या मृत्यु के मामले में दिए गए नुकसान पर लागू नहीं होंगी। इस हद तक कि इस तरह के नुकसान को कानून के तहत अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अनुलग्नक-1

बोलीदाता / एजेंसी विवरण

कृपया नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार ही विवरण प्रदान करें।

1.0	एजेंसी का नाम / पता दूरभाष संख्या फैक्स संख्या मोबाईल संख्या. ई-मेल	
1.1	वैधानिक आवश्यकताएं: कृपया बताएं कि क्या एजेंसी पंजीकृत कंपनी/स्वामित्व/सोसायटी है या दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत है। कृपया तदनुसार पंजीकरण की प्रति संलग्न करें	
1.2	कर्मचारियों की संख्या	
1.3	निदेशकों के नाम और उनका पेशा	
1.4	इस कार्य का अनुभव (बर्षों में)	
2.0	आपकी कंपनी द्वारा किए गए किसी अन्य व्यवसाय की प्रकृति।	
3.0	पंजीकृत / मुख्य कार्यालय स्थान	
4.0	यदि शाखाएँ हैं, तो चेन्नई/तमिलनाडु में शाखाओं के नाम और स्थान बताएं	
5.0	आयकर खाता संख्या/पैन नंबर, जीएसटी नंबर और पिछले वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए कर की राशि (कृपया नवीनतम आयकर निकासी प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
6.0	लिफ्टों के लिए पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में एजेंसी का वार्षिक कारोबार	
7.0	विक्रेताओं को पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22, 2022-2023, 2023-24) के लिए अपना कोटेशन जमा करते समय समान प्रकृति के 25 लाख या उससे अधिक राशि के तीन अनुबंधों को पूरा करने के अपने	

	अनुभव का दस्तावेजी प्रमाण/विवरण संलग्न करना चाहिए।	
8.0	कृपया अपनी एजेंसी/कंपनी के बैंकर का नाम और पता प्रदान करें।	
9.0	क्या निष्पादित अनुबंधों के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा/मध्यस्थता चल रही है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।	
10.0	बैंक सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र का विवरण	
11.0	प्रमुख मौजूदा ग्राहकों की सूची उनके वार्षिक बिलिंग के साथ	

12.0	पिछले 3 वर्षों में प्रमुख ग्राहकों की सूची उनके वार्षिक बिलिंग के साथ	ग्राहक का नाम	संपर्क व्यक्ति व सं	अनुबंध कीमत
13.0	किसी अन्य सूचना/दस्तावेज का विवरण जो एनआईईपीएमडी को अनुबंध प्रदान करने के लिए बोलीदाता की क्षमताओं का आकलन करने में मदद कर सकता है			

बुनियादी ढांचा

1.	लिफ्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए आपकी एजेंसी/कंपनी द्वारा बनाए गए बुनियादी ढांचे का विवरण प्रस्तुत करें।	
2.	एनआईईपीएमडी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को आवंटित मोबाइल फोन नंबर, जिनसे आपातकाल में संपर्क किया जा सकता है।	

अनुलग्नक -II

कीमत बोली उपक्रम

से: (बोलीदाता का पूरा नाम और पता):

मैं प्रमाणित करता हूँ कि,

1. मैंने लिफ्टों के रखरखाव और संबंधित गतिविधियों के सीएमसी के लिए मूल्य बोली प्रस्तुत की है जैसा कि निविदा दस्तावेज में परिकल्पित है।
2. मैंने निविदा दस्तावेज में निहित सभी नियमों और शर्तों की गहन जांच कर ली है और उन्हें समझ लिया है, तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं प्रस्ताव को काम पर दरेँ जैसा बताए गए में कीमत बोली लगाना, सहित का सभी
3. मैं मूल्य बोली में दर्शाई गई दरों पर काम करने की पेशकश करता हूँ, जिसमें जीएसटी को छोड़कर सभी लागू कर/शुल्क शामिल हैं।

विश्वासी

आपका

(नाम, हस्ताक्षर और मुहर अधिकृत प्रतिनिधि)

अनुलग्नक -III

उपक्रम

मैं एट्टारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य है। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि एनआइडपीएमडी इस दस्तावेज़ में दी गई किसी भी या सभी जानकारी को संबंधित अधिकारियों से सत्यापित करे, यदि आवश्यक हो। यदि किसी भी स्तर पर, दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो एनआइडपीएमडी हमारे खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें अनुबंध की समाप्ति और सुरक्षा जमा राशि जब्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी कंपनी/एजेंसी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी ग्राहक संगठन (सरकार सहित) द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है/व्यापार करने से वर्जित नहीं किया गया है।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने निविदा दस्तावेज़ में दर्शाई गई सभी शर्तों को समझ लिया है तथा मैं उन्हें पूर्णतः स्वीकार करता हूँ।

मैं/हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार सेवाएँ प्रदान करेंगे, अन्यथा एनआइडपीएमडी अपने जोखिम और लागत पर वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होगा। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि असंतोषजनक सेवाओं के मामले में, एनआइडपीएमडी को हमारे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है।

मालिक/निदेशक के हस्ताक्षर
अधिकारिक मुहर

स्थान :

दिनांक:

अनुलग्नक IV

नियमित और निवारक रखरखाव

निवारक और सुधारात्मक रखरखाव ओईएम की सिफारिश के अनुसार किया जाएगा, हालांकि, रखरखाव अनुबंध के दौरान नियमित और निवारक रखरखाव में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. मासिक:

इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

- डोर हंगर, डोर रेल, हैंगर केस के अंदरूनी हिस्से को साफ करना। अगर जरूरी हो तो एसेंट्रिक रोलर्स, कार डोर हैंगर, डोर कनेक्टिंग रस्सियों और चेन को एडजस्ट करें।
- डोर शू की जांच और मरम्मत करना।
- सेफ्टी गियर को साफ करना और उसमें तेल डालना।
- कार और काउंटरवेट गाइड शू को साफ करना और उसमें तेल डालना। अगर जरूरी हो तो एडजस्ट करें।
- टर्मिनल लिमिट स्विच और पोजिशन स्विच के अंदरूनी हिस्से को साफ करना और उसमें तेल डालना। टर्मिनल लिमिट स्विच के रबर रोलर्स को चेक करें।
- डोर स्विच, गेट स्विच के अंदरूनी हिस्से को साफ करना और उसकी मरम्मत करना। अगर जरूरी हो तो वर्म पार्ट्स को बदलें।
- लचीली केबल की जांच और मरम्मत करना।
- लिमिट स्विच की मूवमेंट की जांच और मरम्मत करना।
- कार कंट्रोल स्विच के अंदरूनी हिस्से को साफ करना और उसमें तेल डालना।
- कार कंट्रोल पैनल के पुश बटन को साफ करना और जांचना।
- इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक की स्लीव और प्लंजर की जांच, सफाई और मरम्मत करना।

2. प्रत्येक दो माह (सभी मासिक जांचों के अतिरिक्त):

इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं:

- ऑयल डोर हंगर, दरवाज़े की रेल, हैंगर केस के अंदरूनी हिस्से को साफ करना। यदि आवश्यक हो तो एसेंट्रिक रोलर्स, कार के दरवाज़े के हैंगर, दरवाज़े को जोड़ने वाली रस्सियों और जंजीरों को समायोजित करें।
- दरवाज़े के शू की जांच और मरम्मत करना।
- सुरक्षा गियर को साफ और तेल लगाना।

- कार और काउंटरवेट गाइड शू को साफ और तेल लगाना। यदि आवश्यक हो तो समायोजित करें।
- टर्मिनल लिमिट स्विच और पोजिशन स्विच के अंदरूनी हिस्से को साफ और तेल लगाना। टर्मिनल लिमिट स्विच के रबर रोलर्स की जाँच करें।
- तेल से भरे दरवाज़े के स्विच, गेट स्विच के अंदरूनी हिस्से को साफ करना, तेल लगाना और मरम्मत करना। यदि आवश्यक हो तो वर्म पार्ट्स को बदलें।
- लचीली केबल की जाँच और मरम्मत करना।
- लिमिट स्विच की हरकत की जाँच और मरम्मत करना।
- कार के कंट्रोल स्विच के अंदरूनी हिस्से को साफ और तेल लगाना।
- कार के कंट्रोल पैनल के पुश बटन को साफ और जाँचना।
- इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक की स्लीव और प्लंजर की जाँच, सफाई और मरम्मत करना।

3. तिमाही (सभी दो मासिक जांचों के अतिरिक्त):

इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं:

- टर्मिनल लिमिट स्विच और अंतिम लिमिट स्विच के संचालन की जांच और मरम्मत करना।
- गवर्नर स्विच की जांच और मरम्मत करना।
- डोर मोटर्स के ब्रश होल्डर और कम्यूटेटर को साफ करना।
- टूटे हुए तार, घिसाव और समान तनाव के लिए ट्रेक्शन रस्सियों की जांच और मरम्मत करना। यदि आवश्यक हो तो समायोजित करें।
- इलेक्ट्रिक ब्लोअर का उपयोग करके ट्रेक्शन मशीनों और नियंत्रण पैनलों के अंदर की धूल को हटाना।
- इंडिकेटर लैंप को साफ करना और मरम्मत करना।
- रेक्टिफायर और थाइरिस्टर के वोल्टेज की जांच करना।

4. अर्धवार्षिक (सभी तिमाही जांचों के अतिरिक्त):

इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं:

- सुरक्षा गियर के संचालन की जांच और मरम्मत करना।
- तेल बफर्स के लिए तेल की जांच करना।
- लैंडिंग बटन और संपर्कों की जांच और सफाई करना।
- क्षतिपूर्ति श्रृंखला या रस्सियों की जांच और मरम्मत करना।
- दरवाज़े की मोटरों की बियरिंग की जांच और तेल लगाना।
- सेकेंडरी शीव्स, कार टॉप शीव्स और काउंटरवेट को ग्रीस करना।
- कारों और काउंटरवेट के गाइड शूज़ के घिसाव की जांच करना।

5. वार्षिक (सभी अर्धवार्षिक जांचों के अतिरिक्त):

इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं:

- हर लैंडिंग और कार केज के वायर कनेक्शन बॉक्स को साफ करना।
- सभी स्कू को कसना और कंड्यूट इनलेट और आउटलेट पर केबल की स्थिति की जांच करना।
- गियरबॉक्स के वर्म गियर और थ्रस्ट बियरिंग की स्थिति की जांच और मरम्मत करना।
- कंट्रोल पैनल, स्टार्टर पैनल और रिले पैनल के स्कू की जांच और कसना।
- इलेक्ट्रिक ब्लोअर द्वारा लैंडिंग इंडिकेटर स्विच के अंदर की धूल को हटाना।
- सभी सुरक्षा उपकरणों का परीक्षण करना।
- गियरलेस मशीनों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक को खोलना, साफ करना और समायोजित करना।
- गियर ऑयल और मोटर ऑयल को चार्ज करना।
- ट्रेक्शन मशीन, सेकेंडरी शीव्स, लिफ्ट फ्रेम के बाहरी हिस्से, गाइड रेल, गाइड रेल क्लैप और ब्रैकेट आदि के स्कू और फाउंडेशन बोल्ट की जांच और कसना।
- ओवर करंट रिले का परीक्षण करना।

एएमसी के अंतर्गत आने वाली सामग्रियों की सूची

क्रम सं.	समाहित वस्तुएं
1	मुख्य वीवीवीएफ और द्वार वीवीवीएफ
2	ओएसजी, मुख्य रस्सियाँ, ओएसजी रस्सियाँ, 'वी' शीव, डायवर्टर व्हील
3	नियंत्रक पीसीबी बोर्ड
4	कार गाइड शू लाइनर्स, गाइड ऑयल टैंक और गियर ऑयल
5	ब्रेकिंग रेजिस्टेंस, एनकोडर, एमपीसीबी, एमसीसीबी, गाइड शू असेंबली, सेफ्टी गियर असेंबली और ट्रांसफार्मर
6	डोर मोटर, डोर ड्राइव, डोर आर्म, डोर स्केट, स्क्रीन सेंसर, ओवर लोड डिवाइस
7	मुख्य मोटर असेंबली और ब्रेक असेंबली
8	दरवाजा सीमा, स्विच दरवाजा हुक असेंबली, एमसीबीएस, एसएमपीएस
9	दरवाजा संपर्क स्विच, लेवलिंग स्विच, आपातकालीन प्रकाश, चार्जर बॉक्स
10	दरवाजे की बियरिंग, दरवाजे के गाइड शूज़, दरवाजे की रस्सियाँ
11	आपातकालीन सायरन, पुश बटन, संपर्ककर्ता, रिले, ब्रेक वॉशर,
12	सिंगल फेज़ प्रिवेंटर और लैंडिंग डिस्ले बोर्ड
13	गाइड स्नेहन तेल
14	एआरडी पार्ट्स (यदि उपलब्ध हो)
15	प्रेस एंड स्पीक, ट्रैवलिंग केबल, शाफ्ट हार्नेस असेंबली, गाइड रेल, बफर और बफर स्विच
16	मुआवजा श्रृंखला और रोलर असेंबली, ओएसजी तनाव वजन असेंबली

ए.एम.सी. के अंतर्गत न आने वाली सामग्रियों की सूची

क्रम सं.	असमाहित वस्तुएं
01	कार का दरवाजा, दरवाजा और गेट, हैंडल, दरवाजे की बीडिंग, दरवाजे के शीशे, दरवाजे के फ्रेम
02	सिल्स, पुश बॉक्स कवर, लैंडिंग और कार इलेक्ट्रिक, इनकमिंग मेन्स, मेन स्विच
03	सभी प्रकार के टीएफटी/एलईडी/एलसीडी डिस्ले, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम
04	पंखा, लाइट फिटिंग, दर्पण और बैटरी
05	पानी के प्रवेश के कारण दोष, (बारिश / बाढ़ और अन्य)
06	बाहरी कारणों से होने वाले दोष, / क्षति
07	उच्च वोल्टेज / उतार-चढ़ाव / दोषपूर्ण / विद्युत प्रणाली के कारण दोष
08	ईपीएबीएक्स टेलीफोन इंटरकॉम

